मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

म.प्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय कोलार रोड़ भोपाल–462016(म.प्र.)
Tel. 0755-2424660, 0755-2492093& 0755-2492096 website- www.bhojvirtualuniversity.com

"अतिथि शिक्षक हेतु आंमत्रण"

विश्वविद्यालय में **बी.एड. (सामान्य) विभाग** में निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है:– हिन्दी–01, अंग्रेजी–01 विज्ञान–02, गणित–02, सामाजिक विज्ञान–02 उक्त आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये है। कार्य की आवश्यकता तथा संबंधित अतिथि शिक्षक का कार्य एवं आचरण अच्छा होने की स्थिति में आमंत्रण का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवारों से आवेदन के साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव के समस्त अर्हतादायी दस्तावेजों की छायाप्रति को संलग्न कर दिनाँक **31.01.2025** तक मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रं. 969/F-1-9/2016/38–1 भोपाल दिनाँक 08.08.16 एवं आदेश क्र. 1–42/2017/38–1 भोपाल, दिनाँक 26 जून 2018 में दिये गये प्रावधानों एवं साक्षात्कार के माध्यम से भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के नियम निर्देशों के अनुसार होगा। सेवा निवृत शिक्षकों को साक्षात्कार से छूट रहेगी। शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करें।

MPPLF

“अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण“

शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय की जानकारी 2025–26

क्र.	पद	संख्या, कुल –08 विषय, विशेषज्ञता (शिक्षा)	शैक्षणिक अर्हता	मानदेय
1	अतिथि शिक्षक	हिन्दी–01 अंग्रेजी–01 विज्ञान –02 गणित –02 समाजिक विज्ञान –02	**शैक्षणिक अर्हताः– (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (हिन्दी/अंग्रेजी/विज्ञान/गणित/ सामाजिक विज्ञान) में स्नातकोत्तर डिग्री (कम से कम 55%) के साथ। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एड. डिग्री कम से कम 55% अंक हो। (3) एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता संबंधित विषय (शिक्षा) में पी.एच.डी./नेट/स्लेट/सेट** **नोटः–(1) यूजीसी विनियम, 2009 के अनुरूप पी.एच.डी. उपाधि धारक अथवा उन उम्मीदवारों को जिन्होने विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पी.एच.डी. उपाधि यूजीसी निर्धारित प्रक्रिया में पॉच शर्तो की पूर्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो को नेट (NET) की आवश्यक अर्हता से छूट होगी। (2) म.प्र. शासन उशिवि के नियमानुसार एस.सी./एस.टी./ओबीसी/ (नान कीमी लेयर) एवं निःशक्त जन श्रेणी के आवेदको को एम.एड. डिग्री के प्राप्तांक में 10% का अधिभार दिया जायेगा। (3) म.प्र. के मूलनिवासी को वरीयता प्रदान की जावेगी। (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जारी अनुभव प्रमाण–पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष के 4 अंक का अधिभार प्रतिवर्ष दिया जायेगा एवं अनुभव के अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेगें।**	रुपये 2000/–प्रतिदिन अधिकतम 50,000/– प्रति माह

MPPLR

नोटः–1 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर में दायर याचिका के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently abled) श्रेणी के अभ्यार्थियों को शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम अंकों में छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।